School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SAGAR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक:/11066733/स्कूल आई.डी. - 53271 दिनांक:- 09/06/2018

प्रति,

प्रबंधक,

(DOON WORLD PUBLIC SCHOOL, SAGAR)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -DOON WORLD PUBLIC SCHOOL, SAGAR, NARSINGH PUR ROAD, NH- 26, FOUR LANE, SAGAR (M.P.) को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप मे उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होना बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
    - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
    - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पष्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
    - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
    - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
    - किसी बालक को षारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
    - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
    - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
    - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
    - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
    - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
    - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

S.K. Yadav
Director
Doon World Public School
Barkheri Guru, Sagar (M.P.)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सागर (म.प्र.)

Principal
Doon World Public School
Sagar (M. P.)

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	किराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	61897	61897
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	51926	51926
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	9971	9971

ङ. अधोसंरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल मे दर्ज संख्या	पोर्टल मे दर्ज औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	वास्तविक स्थिति औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवी तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		10	530	10	530
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		3	530	3	530
3	भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

च.	अन्य सुविधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	400	400
5	पत्रिकाए/समाचार पत्र	4	4
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Well	Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	7	7
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	4
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	4
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..11066733.. एवं डाईसकोड (DISE) 23111011603 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी( )

जिला SAGAR मध्यप्रदेश

S.K. [signature]
Director
Doon World Public School
Berkheri Guru, Sagar (M.P.)

Principal
Doon World Public School
Sagar (M. P.)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 37-2/2020/20-3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

1/ [illegible] समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त की गई है उन्हे मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एमआईएस व आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु [illegible] की गई है।

3/ [illegible] कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयां एवं [illegible] को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार [illegible] पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण [illegible] प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपरोक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. [illegible] समस्त संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Director
Doon World Public School
Berkheri Guru, Sagar (M.P.)

Principal
Doon World Public School
Sagar (M.P.)

Scanned with CamScanner

पृ.कमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
8. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एनआईसी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
15. समस्त विकासखण्ड समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31-12-20

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर

पृ.क्रमांक/मान्यता/2021/225 सागर दिनांक–11/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी.सी. जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त संकुल प्राचार्य शास.हाई/उमावि जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संस्था प्रमुख प्राथ./माध्यमिक अशासकीय विद्यालय जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11/1/21

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला–सागर

Director

Doon World Public School

Barkheri Guru, Sagar (M.P.)

Principal

Doon World Public School

Sagar (M. P.)

Scanned with CamScanner